2014/00010

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कैम्प कोर्ट सिवाना

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 04/2014

प्रार्थी
1.घेवरचन्द पुत्र रूपसिंह
2.सावंलसिंह पुत्र रूपसिंह,
जाति राजपुरोहित निवासी
रमणीया तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत रमणीया जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत रमणीया
2.भरतकुमार पुत्र तेजराज
3.शैतानसिंह पुत्र छोगसिंह
जाति राजपुरोहित निवासी
रमणीया तहसील,सिवाना

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.07.2013 जो ग्राम पंचायत रमणीया द्वारा प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः– 1.प्रार्थीगण उपस्थित।
2.अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 व 03 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 14.06.2016

1. संक्षेप में प्रार्थीगण की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 भरतकुमार ने सरपंच ग्राम पंचायत,रमणीया के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि रमणीया की आबादी भूमि में पुराना आवासीय मकान आया हुआ है,जिसका पट्टा विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिये उसके नाम नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा प्रदान कराया जाए। इस पर ग्राम पंचायत रमणीया ने पत्रावली संख्या 51 कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 के नाम नियम 157(2) के तहत संकल्प संख्या 2 दिनांक 20.04.2013 के अनुसरण में आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.07.2013 को जारी किया गया। प्रार्थीगण का यह कथन है कि जिस भूमि पर पट्टा जारी किया वह भूमि उनकी एंव अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की संयुक्त पैतृक पुश्तैनी है। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीगण ने इस पट्टा विलेख की भूमि को अपने संयुक्त पैतृक पुश्तैनी भूमि होने एंव नियम विरूद्ध जारी करना बताते हुए यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर,अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये एंव ग्राम पंचायत रमणीया से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सिवाना में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभयपक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थीगण उपस्थित रहे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01की ओर से ग्राम सेवक सिवाना उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 एंव इनके अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे।

4. .हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत रमणीया से प्राप्त रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने निगरानी में यह कथन किया कि वादगस्त भूखण्ड उसके एंव अप्रार्थीगण के संयुक्त पैतृक पुश्तैनी का भूखण्ड है। मगर इस कथन के सम्बन्ध में,उसका प्रमाण भार प्रार्थीगण पर था। प्रार्थी को यह साबित करना था कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी विक्रय विलेख की भूमि उसके स्वामित्व,आधिपत्य एंव विश्वसनीय है।मगर प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूखड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस बात की ताईद हो सके कि वादग्रस्त भूखण्ड प्रार्थीगण का संयुक्त पुश्तैनी भूखण्ड हो। प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थीगण के पक्ष मे जारी पट्टा ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 02 भरतकुमार ने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत रमणीया के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर नक्शा भी पेश किया गया हैं। जिस पर पत्रावली संख्या 51 कायम की गई है। दिनांक 05.09.2012 को मौका कमेटी से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश हुए है। जिस पर मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की हैं। मौका कमेटी ने नियम 146 के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ मे वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट दी है। तत्पश्चात् नियम 148 के तहत दिनांक 05.02.2013 को नोटिस जारी किया हैं नोटिस के साया होने से आपतियां आमंत्रित की गई हैं। मगर किसी भी व्यक्ति ने इस सम्बन्ध में कोई आपति पेश नहीं की है। तत्पश्चात् दिनांक 20.04.2013 की कार्यवाही में नियम 157(2) पुराने गृहों का नियमितिकरण के तहत 200/–वसूल कर पट्टा जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इन नियमो के परिपेक्ष्य में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व नक्शा में दर्शाये गये पड़ोस व नाप के अनुरूप ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी किया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि ग्राम पंचायत रमणीया ने निर्धारित प्रकिया अपनाकर,नियमों में अंकित

जिला कलक्टर
बाड़मेर

प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए प अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 27 दिनांक 05.07.2013 जारी किया है। इसमें कोई अनियमितता एंव त्रुटि प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी सारहीन एंव आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय खुले न्यायालय कैम्प सिवाना में आज दिनांक 14.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर